

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:- राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्या:-162/2017/223 आर.टी.एक्ट (2017/00162)

1. गवरु पुत्र श्री वरदा उर्फ विरदा, जाति जाट, निवासी-ग्राम भटियानी, तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

अपीलांत

बनाम

1. श्री रामदेव पुत्र श्री वरदा उर्फ विरदा, जाति जाट, निवासी-ग्राम भटियानी, तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
2. श्री सांवरा पुत्र श्री वरदा उर्फ विरदा, जाति जाट, निवासी-ग्राम भटियानी, तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
3. मानी पुत्री श्री वरदा उर्फ विरदा, जाति जाट, निवासी-ग्राम भटियानी, तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
4. जगदीश पुत्र श्री भूरा, जाति जाट, निवासी-ग्राम भटियानी, तहसील नसीराबाद जिला अजमेर। (फौत) नाम तर्क
5. श्रीमती नथी पुत्री भूरा पत्नी श्री काना जाति जाट निवासी ग्राम भगवानपुरा, तहसील सरवाड जिला अजमेर।
6. खेमराज पुत्र श्री चौथू जाति जाट, निवासी-ग्राम भटियानी, तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
7. सन्तु पुत्री श्री चौथू जाति जाट, निवासी-ग्राम भटियानी, तहसील नसीराबाद जिला अजमेर। (सर्वगारा) जरिए वारिसान-
 1. हरिराम पुत्र स्वर्गीय श्री सुगना
 2. बळराम पुत्र स्वर्गीय श्री सुगना
 3. विष्णु पुत्री स्वर्गीय श्री सुगना जाति जाट, निवासी-ग्राम चांदसेन तहसील नसीराबाद जिला अजमेर। (फौत) नाम तर्क
8. सोहनी पुत्री श्री चौथू पत्नी रतन जाति जाट, निवासी-ग्राम चांदसेन तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नसीराबाद, जिला अजमेर।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध निर्णय व अंतिम डिग्री दिनांक 22.09.2015 उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद, राजस्व वाद संख्या 132/2014

उपस्थित:-

1. श्री नीरतमल जैन, अभिभाषक अपीलांत
2. श्री रीताराम रावत, अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 01
3. श्री गंगलाराम, अभिभाषक रेस्पोंडेंट संख्या 2 व 3
4. रेस्पोंडेंट संख्या 5,6,7/1,7/2, 8 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक:-13.12.2022


राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा वाद संख्या 132/2014 में पारित निर्णय एवं अंतिम डिग्री दिनांक 22.09.2015 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष रैस्पोंडेंट संख्या 1/वादी के द्वारा वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया कि जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश एवं अंतिम डिक्री दिनांक 22.09.2015 को पारित की गई। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा अपीलार्थी के साथ घोखा कर दिनांक 22.08.2014 के हक त्याग पत्र के अनुसार अपीलार्थी के हिस्से की भूमि का भी हक त्याग पत्र पंजीबद्ध करवा लिया गया कि इस पर अपीलार्थी को जानकारी होने पर अपीलार्थी के द्वारा पंजीबद्ध हक त्याग पत्र दिनांक 22.8.2014 को निरस्त किए जाने के संदर्भ में दिवानी वाद संख्या 38/2014 गवरु वनाम सांवरा व अन्य न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग नसीराबाद के समक्ष प्रस्तुत किया कि जिसमें आदेश व डिक्री दिनांक 29.9.2014 के अनुसार अपीलार्थी के हिस्से की भूमि के संदर्भ में पंजीबद्ध हक त्याग पत्र दिनांक 22.8.2014 को घोखे से निष्पादित करवाया गया, अपीलार्थी के पंजीबद्ध हक त्याग पत्र को दिनांक 22.8.2014 निरस्त कर दिया गया, परंतु रैस्पोंडेंट संख्या 1/वादी के द्वारा दिवानी न्यायालय के आदेश व डिक्री दिनांक 29.9.2014 को छिपाकर न्यायालय को गुमराह कर अपीलाधीन आदेश व अंतिम डिक्री दिनांक 22.09.2015 को पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा वाद संख्या 132/2014 में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 22.09.2015 से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी ने यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।
3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रैस्पोंडेंट संख्या 5, 6, 7/1, 7/2, 8 उपरिथत नहीं हुए।
4. अभिभाषक अपीलार्थी ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश व अंतिम डिक्री दिनांक 22.09.2015 की अपीलार्थी को, अपीलार्थी द्वारा उसके हिस्से की भूमि की बुवाई हकवाई दिनांक 28.6.2017 को कर रहा था उस समय रैस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 मौके पर आकर अपीलार्थी की हकवाई बुवाई को रोकने के प्रयास करे हुए अपीलार्थी को यह बताया कि रैस्पोंडेंट संख्या 1 के पक्ष में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आदेश व प्राथमिक अंतिम डिक्री दिनांक 22.09.2015 को ही रैस्पोंडेंट संख्या 1 वादी के पक्ष में किया जा चुका है, अपीलार्थी को आदेश व अंतिम डिक्री दिनांक 22.09.2015 की जानकारी 28.6.2017 को ही हुई, इस पर अपीलार्थी ने अधिवक्ता से प्राथमिक डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि की मांग की जो दिनांक 29.6.2017 को उनके अधिवक्ता द्वारा दिनांक 5.7.2017 को ही दी गई, अपीलाधीन आदेश व प्राथमिक डिक्री पारित करने से पूर्व कोई सूचना नोटिस ही नहीं दिया गया ऐसी अवस्था में अपीलन्यायहित में विलंब के समय को क्षमा किया जाने योग्य है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देशी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।
5. अभिभाषक अपीलार्थी ने तत्पश्चात दिनांकित 03.11.2022 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 संपठित धारा 151 जा.दी. पर निवेदन किया कि दावाकृत भूमि के संदर्भ में हक परित्याग पत्र दिनांक 22.08.2014, हक परित्याग पत्र दिनांक 22.08.2014, घोषणा पत्र दिनांक 22.08.2014, नामान्तकरण संख्या 991 दिनांक 27.07.2016, नामान्तकरण




[Signature]
राजस्थान अमान्य प्रधिकारी
अजमेर

संख्या 887 दिनांक 27.01.2016, वर्तमान जमाबंदी (4 खाते) प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये जा रहे है जो निर्णय प्रकरण के निरस्तारण के लिए आवश्यक है। माननीय न्यायालय से अनुरोध हैकि रेस्पोंडेंट का आवेदन पत्र स्वीकार कर दस्तावेज हकपरित्याग, नामान्तरण एवं वर्तमान जमाबंदी की नकले रिकार्ड पर लिये जाने की कृपा करावे।


6. विद्वान अग्निभाषक अपीलान्त ने दौराने वहरा अपील में कथन किया कि ग्राम हणुतिया एवं ग्राम भटियानी स्थित भूमियां कि जिसमें अपीलार्थी के हिस्से की भूमि के संदर्भ में रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 के द्वारा अपीलार्थी को धोखा देकर अपीलार्थी के हिस्से की भूमि के संदर्भ में दिनांक 22.08.2014 को पंजीबद्ध हक त्याग पत्र करवा लिया गया कि जिसकी अपीलार्थी को जानकारी होने पर अपीलार्थी के द्वारा दिवानी न्यायालय, न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग नसीराबाद जिला अजमेर के समक्ष दिवानी वाद संख्या 38/ 2014 गबरु बनाम सांवरा व अन्य प्रस्तुत किया गया कि जिस पर अपीलार्थी का दिवानी वाद स्वीकार किया जाकर दिवानी न्यायालय के द्वारा आदेश व डिक्री दिनांक 29.9.2014 को पारित किया गया के अनुसार अपीलार्थी के हिस्से की भूमि की सीमा तक पंजीबद्ध हक त्याग पत्र दिनांक 22.08.2014 को धोखे से निष्पादित करवाया गया को निरस्त कर दिया गया तथा परित्याग पत्र के आधार पर रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 के द्वारा उनके पक्ष में नामान्तरण नहीं करवावे एवं अपीलार्थी के हिस्से की कब्जाशुदा भूमि से बेदखल करने की कोई कार्यवाही ना करे, आदेश व डिक्री पारित की गई कि इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी रेस्पोंडेंट संख्या 1 के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को स्वीकार कर अपीलार्थीन आदेश व प्राथमिक डिक्री जो पारित की गई वह अधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है, व आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेंट संख्या 1/वादी के द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत किया गया कि जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी/प्रतिवादी को कोई सूचना नोटिस ही नहीं दिए गए जब कि वाद पत्र की आदेशिका के अनुसार तलबी इंतजारी में थी, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए निर्णय पारित किया गया है। अपीलार्थी के द्वारा रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 एवं अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध धोखा देकर साजिश, कूटचिंत, षडयंत्रपूर्वक दस्तावेज हक त्याग पत्र के संदर्भ में सक्षम न्यायालय के समक्ष परिवाद पत्र अंतर्गत धारा 420, 119, 467, 468, 471 एवं 120-बी भारतीय दण्ड संहिता के तहत अलग से परिवाद पत्र भी प्रस्तुत किया गया जिस पर अनुसंधान की कार्यवाही जारी है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेंट वादी के द्वारा वाद पत्र दिनांक 10.09.2014 को प्रस्तुत किया गया जब कि अपीलार्थी के हिस्से की भूमि के संदर्भ में तथाकथित धोखा देकर हक त्याग पत्र दिनांक 22.08.2014 को अपीलार्थी की भूमि का पंजीबद्ध हक त्याग पत्र जोकि धोखा कर किया कि जिसे आदेश दिनांक 29.9.2014 के अनुसार अपीलार्थी के हिस्से की भूमि का हक त्याग दिनांक 22.08.2014 को निरस्त कर दिया गया एवं रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारित कर पाबंद किया गया, अपीलार्थी की भूमि रेस्पोंडेंट 1 व 2 उनके पक्ष में नामान्तरण नहीं करावे, व अपीलार्थी को बेदखल नहीं करें परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वाद पत्र के अभिकथनों एवं अनुतोष के प्रतिकूल आदेश दिनांक 29.09.2014 के प्रतिकूल अपीलार्थीन आदेश व प्राथमिक अंतिम डिक्री दिनांक 22.09.2015 पारित की गई जो निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाए व





राजेश्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 132/2014 में पारित आदेश एवं अंतिम डिक्री दिनांक 22.09.2015 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

7. विद्वान अभिभाषक रैसपोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 गियाद अधिनियम जवाब/बहरा में कथन किया कि अपीलार्थी आदेश की अपीलार्थी को शुरू से जानकारी थी अपीलार्थी ने जानबूझ कर गियाद बाहर अपील पेश की है अपीलार्थी ने गियाद प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किए जो सद्भाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलार्थी का धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।
8. विद्वान अभिभाषक रैसपोडेंट ने जवाब/बहरा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 जा.दी. में कथन किया कि हक परित्याग पत्र दिनांक 22.08.2014 जो कि अपीलार्थी के द्वारा रैसपोडेंट संख्या 01, 02 के पक्ष में ही नहीं किया गया, अपीलार्थी के साथ धोखा कर तथाकथित हक परित्याग पत्र के संदर्भ में अपीलार्थी के द्वारा राक्षम पुलिस थाने के राक्षम प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करवायी गई, राजस्थान कार्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत हक त्याग पत्र के संदर्भ में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। इसी कारण दरतावेज अस्वीकार है तथा शेष दरतावेज वर्ष 2014 एवं 2016 के जो कि उक्त अपील के प्रस्तुत करने से पूर्व के है। आवेदन पत्र में यह भी उल्लेख नहीं किया कि आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत दरतावेज सुसंगत हो, अपील के निरस्तारण लिए आवश्यक हो, ऐसा कोई कथन ही नहीं किया एवं देरी से प्रस्तुत करने के संदर्भ में भी कोई कारण ही नहीं दर्शाया गया है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 जा.दी. खारिज फरमाया जावे।
9. विद्वान अभिभाषक रैसपोडेंट ने दौराने जवाब/बहरा अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29.09.2014 को प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत स्वीकृतियों के आधार पर वादी गवरू का वाद, विरुद्ध प्रतिवादीगण इसी हक तक स्वीकार किया है कि प्रतिवादी संख्या 01, 02 द्वारा वादी से दिनांक 22.08.2014 को धोखे से निष्पादित कराये गये हक त्याग को वादी की हद तक निरस्त किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 01, 02 के विरुद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा भी जारी किये जाने का आदेश दिया गया था कि उक्त तथाकथित परित्याग पत्र के आधार पर नामान्तरण अपने पक्ष में नहीं करवाये तथा वादी को उसके कब्जेशुदा भूमि से वेदखल करने की कोई कार्यवाही ना करें। तत्पश्चात दिनांक 13.10.2014 को अधीनस्थ न्यायालय ने यह आदेश दिये कि चाहा गया असल दरतावेज वकील वादी द्वारा दिनांक 29.09.2014 को पेश किया गया है। "अतः आदेश दिया जाता है कि वादी गवरू द्वारा प्रतिवादीगण सांवरा व रामदेव के हक में निष्पादित मूल हक त्यागपत्र वकील वादी को सत्यापित प्रति अभिलेख पर रखते हुए लौटाया जावे।" अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत आदेश पारित किये गये है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलार्थी खारिज फरमायी जावे।
10. हमने विद्वान अभिभाषक उपायपक्ष के द्वारा कि गई बहरा पर गनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दरतावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 गियाद अधिनियम का निरस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 में किए गए कथन सद्भाविक प्रतीत होते हैं। अतः न्यायहित में





राजस्व अर्थालय प्राधिकारी
अजमेर

प्रार्थी का धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को अंदर गियाद शुमार किया जाना उचित समझते हैं।


11. प्रार्थी द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष आदेश 41 नियम 27 धारा 151 जा0दी0 प्रस्तुत किया तथा प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिए जाने का निवेदन किया चूंकि उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज विवादित आराजीयात संबंधित है जो कि उक्त प्रकरण से सुरंगत एवं ग्राह्य होने से न्यायहित में उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिया जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान किया जाता है।

12. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वादग्रस्त आराजीयात बाबत रेस्पोंडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बंटवारे एवं स्थाई निषेधाज्ञा की उदघोषणा हेतु रास्जव वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.09.2014 को दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए जाने के आदेश प्रदान किए तथा उक्त पत्रावली बाबत प्रतिवादी को सम्यक रूप से नोटिस तामिल करवाए बिना ही उक्त पत्रावली को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्याय आपके द्वार अभियान कोर्ट केम्प लोहारवाडा में दिनांक 5.6.2015 को सुनवाई हेतु नियत कर दिया तथा उक्त कोर्ट केम्प के नोटिस भी सम्यक रूप से पक्षकारों को तामिल नहीं करवाए तथा उक्त दिनांक को ना तो पक्षकार और ना ही उनके अभिभाषक कोर्ट केम्प में उपस्थित हुए और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त पत्रावली का कोर्ट केम्प लोहारवाडा दिनांक 5.6.2015 को ही निर्णय कर बिना पक्षकारों के समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई/जवाब का अवसर प्रदान किए प्राथमिक डिक्री जारी कर दी जो कि नैसर्गिक न्याय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है तथा उक्त आदेश लोक अदालत की मूल भावना जिसमें निर्णय राजीनामें के आधार पर होते है के विपरीत है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत की मूल भावना के विपरीत जाकर विवादित आराजीयात बाबत दिनांक 5.6.2015 को प्राथमिक डिक्री पारित कर दी जो कि निरस्त किए जाने योग्य प्रतीत होती है तथा उक्त प्राथमिक डिक्री के आधार पर बिना पक्षकारों को समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना अपीलांट/प्रतिवादी को बंटवारा प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किए बिना उक्त आदेश दिनांक 22.9.2015 पारित कर दिया जो कि नैसर्गिक न्याय एवं प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य प्रतीत होते हैं। अतः अपील स्वीकार योग्य पायी जाती है।

13. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के वाद पत्र संख्या 132/2014 में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 22.09.2015 को निरस्त किया जाता है। फौसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।


(राजेंद्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

14. निर्णय आज दिनांक 13.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सारे इजलास सुनाया गया।


राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर